

**न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड**

जमानत आवेदन क्रमांक 100/18

रामेश्वर सिंह पुत्र कप्तान सिंह आयु 28 वर्ष  
निवासी ग्राम किटेहना थाना मौ परगना गोहद  
जिला भिण्ड, म.प्र.

—आवेदक

विरुद्ध

पुलिस थाना मौ

—अनावेदक

19-03-2018

आवेदक/आरोपी रामेश्वर की ओर से श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

पुलिस थाना मौ से अपराध क्रमांक 62/18 अंतर्गत धारा 34-2 आबकारी अधिनियम की कैफियत व केस डायरी प्राप्त।

प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त रामेश्वर की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण गुप्ता ने संबंधित जेएमएफसी न्यायालय से आवेदन पत्र धारा 437 दं0प्र0सं0 निरस्त हो जाने के उपरांत प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया है कि उक्त प्रथम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निराकृत हुआ है।

आवेदक की ओर से अधि. श्री प्रवीण गुप्ता द्वारा प्रथम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 का पेश कर निवेदन किया कि आवेदक के विरुद्ध पुलिस थाना मौ ने सांठगांठ करके झूठा अपराध पंजीबद्ध कर दिया है, जबकि आवेदक का अपराध से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक दिनांक 06.03.18 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक निर्दोष है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः इन्हीं सब आधारों पर उसे जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अपराध को गंभीर स्वरूप का होना बताते हुये जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुये संपूर्ण

केस डायरी का परिशीलन किया गया, जिससे दर्शित है कि आवेदक/अभियुक्त रामेश्वर के विरुद्ध धारा 34 (2) म0प्र0 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत आरक्षी केंद्र मौ में अपराध पंजीबद्ध किया जाकर उसके ज्ञानयुक्त आधिपत्य से कुल 70 लीटर शराब को जप्त होना बताया गया है, जो कि गंभीर स्वरूप का अपराध है तथा अपराध की गंभीरता के आधार पर राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन पत्र का घोर विरोध किया गया है तथा मामले के परिस्थितियों में ऐसा भी दर्शित नहीं होता है कि आवेदक उक्त अपराध का अभियुक्त नहीं है और जमानत मिलने की दशा में अपराध की पुनरावृत्ति की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः धारा 59-ए म0प्र0 आबकारी अधिनियम में उपबंधित विधिक प्रावधानों सहित उक्त समस्त के आलोक में जमानत आवेदन पत्र धारा 439 दं0प्र0सं0 स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित केस डायरी संबंधित थाने को वापस की जाकर पावती ली जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(सतीश कुमार गुप्ता)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला भिण्ड